

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. मण्डलीय अपर निदेशक  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
मण्डल- फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, देवीपाटन व बस्ती।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी  
जनपद-फैजाबाद, बाराबंकी, सुलतानपुर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़,  
कौशाम्बी, बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूँ, पीलीभीत, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती,  
सिद्धार्थनगर व संतकबीरनगर।

पत्रांक-एनआरएचएम/एसपीएमयू/मै0डे0आ0/54बी/2013-14/1435-2 दिनांक 03.08.2013

विषय-प्रदेश के 05 अतिसंवेदनशील मण्डलों में स्वतन्त्र समीक्षकों द्वारा मातृ-मृत्यु समीक्षा की पायलट परियोजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के 05 मण्डलों में, जहाँ मातृ मृत्यु अनुपात 400 प्रति लाख जीवित जन्म से अधिक है, मृत्यु के कारणों का विश्लेषण करने हेतु मातृ मृत्यु समीक्षा अत्यन्त आवश्यक है। वर्ष 2013-14 में एस0पी0एम0यू0 के पत्र संख्या-एनआरएचएम/एसपीएमयू/मै0डे0आ0/54बी/2012-13/1890-2 दिनांक 20.10.2012 द्वारा आपके मण्डल के 20 जनपदों में मातृ-मृत्यु समीक्षा को बढ़ावा देने के लिये स्वतंत्र समीक्षक दलों के गठन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे जिसके क्रम में कुछ जनपदों द्वारा यह दल गठित कर लिये गये हैं। वर्ष 2013-14 की स्वीकृत राज्य कार्य योजना में कतिपय संशोधनों के साथ यह पायलट परियोजना जारी रखे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। प्रदेश में मातृ मृत्यु समीक्षा एवं सूचना कार्यक्रम के संचालन हेतु पत्रांक-एनआरएचएम/एसपीएमयू/मै0डे0आ0/54बी/2013-14/1434-7 दिनांक 03-07-2013 द्वारा दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। प्रदेश के 20 जनपदों में इस परियोजना के संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं-

1. स्वतंत्र मातृ-मृत्यु समीक्षक दल का गठन-प्रत्येक जनपद में 1 स्वतंत्र मातृ-मृत्यु समीक्षक दल का गठन किया जाना है जिसमें कुल 02 सदस्य होंगे। इस दल में 1 अनुभवी चिकित्साधिकारी एवं 1 महिला सामाजिक/स्वास्थ्य कार्यकर्त्री होंगे।

- स्वतंत्र मातृ-मृत्यु समीक्षक दल में ऐसे राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त चिकित्सक एवं सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कार्यकर्त्री के चयन को वरीयता दी जाये जो मातृ मृत्यु के मुद्दे पर संवेदनशील हों।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में नोडल अधिकारी, आर0सी0एच0 एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय की एक समिति गठित कर वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से स्वतंत्र मातृ-मृत्यु समीक्षक दल के सदस्यों का चयन कर लिया जाय जिसकी औपचारिक सूचना आगामी जिला स्वास्थ्य समिति में प्रस्तुत कर दी जाये।

- एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को वरीयता प्रदान की जाय किन्तु व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात भी एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक उपलब्ध न होने की स्थिति में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त आयुष चिकित्सकों का भी चयन किया जा सकता है।
2. स्वतंत्र समीक्षक दल का अभिमुखीकरण— सभी 20 जनपदों पर स्वतंत्र समीक्षक दल के गठित हो जाने के पश्चात इन 40 सदस्यों का 01 दिवसीय अभिमुखीकरण राज्य स्तर पर किया जायेगा। अतः शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही आरम्भ करते हुए 31 जुलाई 2013 तक इन दलों का गठन सुनिश्चित कर राज्य स्तर पर सूचना दें।
3. स्वतंत्र समीक्षक दल द्वारा सामुदायिक मातृ मृत्यु समीक्षा— जनपद में होने वाली मातृ मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर यह दल तीन सप्ताह के अन्दर उस गांव का भ्रमण करेगा। यह दल मृतका के परिवार के सदस्यों, आशा, ए0एन0एम0 व समुदाय के सदस्यों के साथ बैठकर मृत्यु के कारणों व सामयिक घटनाओं का सत्य शोधन करेगा, तत्पश्चात एक सप्ताह के भीतर कम्युनिटी बेस्ड मैटरनल डेथ ऑडिट फार्म-2 भर कर विश्लेषण के साथ मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
4. पायलट परियोजना के अन्तर्गत धनराशि की व्यवस्था— वर्ष 2013-14 में स्वतंत्र समीक्षक दल को प्रति समीक्षा हेतु रू0 3000.00 की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- इस कार्य के लिए रू0 2250.00 चिकित्सक को, रू0 500.00 सामाजिक/स्वास्थ्य कार्यकर्त्री को तथा रू0 250.00 रिपोर्ट लेखन व अन्य व्यय हेतु, इस प्रकार रू0 3000.00 प्रति समीक्षा अनुमन्य होगा जिसका भुगतान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात किया जायेगा।
- रिपोर्ट लेखन एवं विश्लेषण की जिम्मेदारी दल के चिकित्साधिकारी की होगी एवं सामाजिक/स्वास्थ्य कार्यकर्त्री इसमें सहयोग प्रदान करेगी।
- इस दल के भ्रमण हेतु अनुश्रवण के मद में उपलब्ध कराये जा रहे वाहन का उपयोग किया जायेगा जिसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।
- ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी इस दल के साथ संयुक्त भ्रमण कर सकते हैं। इस दल के साथ जाने वाली आशा, ए0एन0एम0 तथा एक परिवार के सदस्य में से प्रत्येक को सामुदायिक मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु प्राविधानित रू0 100.00 पूर्व की भांति ही दिया जायेगा।
5. मातृ मृत्यु की सूचना – अपने जनपद में विशेष अभियान के अंतर्गत सभी प्रभारियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशाओं को सूचित करें कि वे अपने क्षेत्र में होने वाली सभी मातृ मृत्युओं की रिपोर्टिंग अवश्य करें।
- ध्यान रहे कि मातृ मृत्यु की सूचना प्राप्त करना इस पायलट परियोजना का सूत्र बिन्दु है जिसके बिना यह परियोजना चलाया जाना सम्भव नहीं है अतः जनपद की सभी प्रसव/चिकित्सा इकाईयों से मातृ-मृत्यु की मासिक रिपोर्ट प्राप्त करें चाहे वह शून्य ही क्यों न हो।
- सभी ब्लॉक प्रभारी आशाओं को मासिक बैठक के दौरान सूचित कर दें कि वर्तमान में आशाओं को प्रत्येक मातृ मृत्यु की सूचना पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि दोगुनी अर्थात् रू0 200.00 कर दी गई है।
- आशाओं की बैठक के लिये एक कैलेण्डर विकसित कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

- मासिक बैठक में इसका भुगतान भी सुनिश्चित कराएँ जिससे आशाओं का उत्साह बना रहे। पायलट जनपदों में वर्ष 2013-14 में कुल होने वाली मातृ-मृत्युओं की संख्या का आंकलन कर उसके कम से कम 80 प्रतिशत की रिपोर्ट अवश्य होनी चाहिए। इसके लिए जनपद स्तर पर विशेष अभियान चलाए जायें।

6. वित्तीय व्यवस्था- उपर्युक्तानुसार प्रत्येक जनपद को पत्रांक-एनआरएचएम/एसपीएमयू/मै0डे0आ0/54बी/2013-14/1435-2-8 दिनांक 03-07-2013 द्वारा प्रेषित जनपदवार फांट संलग्नक-1 के कॉलम 05 पर प्रदर्शित जनपद वार कुल सम्भावित वार्षिक मातृ मृत्यु समीक्षाओं के लिए रू0 3000.00 प्रति सामुदायिक मातृ मृत्यु समीक्षा की दर से कॉलम 12 में प्रदर्शित धनराशि प्रेषित की जा रही है। स्वतंत्र समीक्षक दलों के सदस्यों को समस्त भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किये जायें। समस्त वित्तीय व्यवस्थायें उपर्युक्त दिशा निर्देश के अनुसार ही सुनिश्चित की जायें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)  
मिशन निदेशक

पत्रसं0-एनआरएचएम/एसपीएमयू/मै0डे0आ0/54बी/2013-14/1435-2-8 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 महानिदेशक-परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3 मण्डलायुक्त, मण्डल फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, देवीपाटन व बस्ती।
- 4 जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, एन0आर0एच0एम0, जनपद-फैजाबाद, बाराबंकी, सुलतानपुर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूँ, पीलीभीत, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर व संतकबीरनगर।
- 5 वित्त नियंत्रक-एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6 मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, मण्डल फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, देवीपाटन व बस्ती।
- 7 जिला कार्यक्रम प्रबन्धक-एन0आर0एच0एम0, जनपद-फैजाबाद, बाराबंकी, सुलतानपुर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूँ, पीलीभीत, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर व संतकबीरनगर।
- 8 निजी सचिव अपर मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0।

(अमित कुमार घोष)  
मिशन निदेशक